2. जिला पुनर्गठन

2. जिला पुनर्गठन

क्रमांक	विषय	परिपत्र/संकल्प संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासकीय इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन के संबंध में नीति निर्धारण पर सुझाव देने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति में आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सदस्य एवं वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग को अंशकालीन सदस्य की हैसियत से शामिल किया जाना ।	16 (ख)/जि० पु० 06-07/97 का०-72 दिनांक 2.4.1998	4
2.	राज्य सरकार को प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन के संबंध में नीति-निर्धारण पर सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।	16/जि. पु. 2-04/90-17 दिनांक 25 जनवरी, 1992 ।	6
3.	राज्य सरकार को प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन के संबंध में नीति-निर्धारण पर सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।	16/जि० पु० 2-04/90 का०-234 दिनांक 7.9.90	8
4.	प्रशासनिक इकाई एवं ढांचा सुधार समिति का प्रतिवेदन ।	संख्या 66 दिनांक 12/15 मार्च, 1985	11
5.	प्रशासनिक इकाई एवं ढांचे में सुधार के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।	सं० 1101, दिनांक 4 मई, 1984	12
6.	बिहार पंचायत समिति तथा जिला पर्षद अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत गठित जिला पर्षदों के कार्यक्षेत्र एवं कार्यकलापों के संबंध में उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कर्त्तव्य एवं कृत्य--प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका ।	संख्या 461-मु० स० दिनांक 3 मार्च, 1981 ।	14
7.	Duties and functions of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer in connection with the Zila Parishads constituted under	No. 4340/GP Dated the 8th May, 1973	21

Bihar Panchayat Samities and
Zila Parishads Act, 1961.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (जिला पुनर्गठन शाखा)

संकल्प

विषय :- **प्रशासकीय इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन के संबंध में नीति निर्धारण पर सुझाव देने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति में आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सदस्य एवं वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग को अंशकालीन सदस्य की हैसियत से शामिल किया जाना ।**

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 234 दिनांक 7.9.90 द्वारा प्रशासनिक इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन के संबंध में नीति निर्धारण पर सुझाव देने एवं नये प्रमण्डल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडों के सृजन की अनुशंसा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था । इस उच्चस्तरीय समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों को शामिल किया गया था :-

1. सदस्य, राजस्व पर्षद	-	अध्यक्ष ।
2. भूमि सुधार आयुक्त, बिहार	-	अंशकालीन सदस्य ।
3. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार	-	अंशकालीन सदस्य ।
4. वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त, बिहार	-	अंशकालीन सदस्य ।
5. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार	-	सदस्य-सचिव ।

आगे चलकर सदस्य, राजस्व पर्षद को इस समिति का पदेन अध्यक्ष बना दिया गया । सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की दिनांक 27.6.97 को हुई बैठक में विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को भी इस समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की प्रखण्ड नामक छोटी इकाई के सृजन एवं पुनर्गठन से वे सीधे संबंधित हैं और राज्य के प्रशासनिक ढांचे का उन्हें अधिक सटीक अनुभव है, जिसका लाभ समिति द्वारा दिया जाना समीचीन है ।

अतः राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन के संबंध में नीति निर्धारण पर सुझाव देनेवाली उच्चस्तरीय समिति के सदस्य के रूप में आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को शामिल किया जाता है । संकल्प निर्गत होने की तिथि से अब इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(1) सदस्य, राजस्व पर्षद	-	अध्यक्ष
(2) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	-	सदस्य-सचिव

(3) आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार - सदस्य

(4) भूमि सुधार आयुक्त, बिहार - अंशकालीन सदस्य

(5) सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार - अंशकालीन सदस्य

(6) वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग - अंशकालीन सदस्य

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उप विकास आयुक्तों एवं सभी जिला अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- नवीन कुमार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16 (ख)/जि० पु० 06-07/97 का०-72 पटना-15, दिनांक 2.4.1998

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को इसे बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16 (ख)/जि० पु० 06-07/97 का०-72 पटना-15, दिनांक 2.4.1998

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16 (ख)/जि० पु० 06-07/97 का०-72 पटना-15, दिनांक 2.4.1998

प्रतिलिपि -सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/निदेशक, पंचायतराज निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16 (ख)/जि० पु० 06-07/97 का०-72 पटना-15, दिनांक 2.4.1998

प्रतिलिपि - संबंधित अध्यक्ष/अंशकालीन सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- नवीन कुमार
सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(जिला पुनर्गठन शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 25 जनवरी, 92 ।

विषय :- राज्य सरकार को प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन के संबंध में नीति-निर्धारण पर सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 234 दिनांक 7.9.90 द्वारा सरकार को प्रमंडल/जिला/अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन के संबंध में नीति-निर्धारण पर सुझाव देने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था, तथा उक्त संकल्प की कंडिका-4 द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारियों की समिति गठित की गयी थी ।

(i) श्री एस. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., सदस्य, राजस्व पर्षद – अध्यक्ष

(ii) भूमि सुधार आयुक्त – अंशकालीन सदस्य ।

(iii) सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार – अंशकालीन सदस्य ।

(iv) सचिव, कार्मिक एवं प्र. सु. विभाग, बिहार – सदस्य-सचिव ।

चूंकि श्री एस. के. श्रीवास्तव, सदस्य, राजस्व पर्षद के सेवा निवृत्ति के उपरांत दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापन सदस्य, राजस्व पर्षद, के रूप में हुआ तथा भविष्य में समय-समय पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन सदस्य, राजस्व पर्षद के रूप में होता रहेगा इसलिए उपर्युक्त संकल्प संख्या - 234 दिनांक 7.9.90 की कंडिका-4 के क्रमांक 1 (एक) को आंशिक रूप में सुधार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि सदस्य, राजस्व पर्षद, पदनाम से, उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष रहेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय, और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी उप विकास आयुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16/जि. पु. 2-04/90-17

पटना, दिनांक 25 जनवरी, 1992 ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या 17

पटना, दिनांक 25 जनवरी, 1992 ।

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या 17

पटना, दिनांक 25 जनवरी, 1992 ।

प्रतिलिपि - सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ निदेशक, पंचायतराज निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या 17

पटना, दिनांक 25 जनवरी, 1992 ।

प्रतिलिपि - संबंधित अध्यक्ष/अंशकालीन सदस्य एवं सदस्य-सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(जिला पुनर्गठन शाखा)

संकल्प

विषय :- **राज्य सरकार को प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन के संबंध में नीति-निर्धारण पर सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।**

बिहार राज्य में अभी 11 प्रमंडल, 42 जिला, 82 अनुमंडल एवं 591 प्रखंड कार्यरत हैं । पूर्वगामी सरकार ने 22/1/90 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आठ नये जिले, 6 नये अनुमंडल एवं विभिन्न चरणों में 145 प्रखंडों के सृजन का निर्णय लिया था, परन्तु अभी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त विभिन्न विधायकगण एंव सामाजिक संस्थाओं इत्यादि के द्वारा नये प्रमंडल एवं जिलों, अनुमंडल एवं प्रखंड बनाने की मांग की जाती रही है और गत विधानसभा में भी अनेकों प्रश्न तथा गैर-सरकारी संकल्प आये थे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल/जिला एवं प्रमंडल का दर्जा देने की मांग की गयी थी ।

2. प्रमंडलों, जिलों/अनुमंडलों तथा प्रखंडों का सृजन, प्रशासनिक सुधार, क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं प्रशासन को जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिशमन एवं उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से किया जाता है । ऐसा देखा गया है कि अभी तक जिन प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों का सृजन हुआ है, उसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं प्रखंडों की संख्या के दृष्टिकोण से एकरूपता नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय लेकर प्रमंडलों/जिला/अनुमंडलों के साथ-साथ प्रखंडों के सृजन के संबंध में जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं प्रखंडों की संख्या की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय और इन सीमाओं को आधार मानकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के सृजन पर विचार किया जाय ।

3. पूर्व में इस उद्देश्य से श्री वि. वि. नाथन (भा. प्र. से.) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन हुआ था, जिसने सरकार को अपना प्रतिवेदन 15/3/85 को दिया था । चूँकि उक्त समिति की अनुशंसा कई वर्ष पुरानी हो चुकी है और इस बीच की अवधि में काफी परिवर्तन भी हुआ है । अतः यह आवश्यक है कि पुनः एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाय, जो तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को नीति-निर्धारण के रूप में अपना परामर्श दें ।

4. अतः प्रशासनिक इकाई एवं ढांचे पर प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के पुनर्गठन/सृजन हेतु नीति निर्धारण के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाती है :-

1- श्री. एस. के. श्रीवास्तव (भा. प्र. से.), सदस्य, राजस्व पर्षद् – अध्यक्ष

2- भूमि सुधार आयुक्त, बिहार – अंशकालीन सदस्य

3- सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार – अंशकालीन सदस्य

4- सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार – सदस्य सचिव ।

5. समिति द्वारा विचारणीय विषय निम्नांकित होंगे -

(क) वर्त्तमान प्रशासनिक ढांचे एवं इकाइयों की समीक्षा करना ।

(ख) विकास एवं कल्याण के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा प्रशासन को जन-आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उसे प्रभावी रखने के लिये प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के पुनर्गठन/सृजन हेतु सुझाव देना ।

(ग) प्रमंडल/जिला/अनुमंडल के साथ-साथ प्रखंड के भौगोलिक आकार, स्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि के आलोक में उनके पुनर्गठन/सृजन के संबंध में यथासाध्य मापदंडों (न्यूनतम और अधिकतम) के निर्धारण के संबंध में सुझाव देना ।

(घ) प्रशासनिक इकाइयों के लिये पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बल-निर्धारण तथा भवन एवं उपस्कर की आवश्यकताओं के संबंध में सुझाव देना ।

(ङ) उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करते समय समिति उस प्रतिवेदन को मद्देनजर रखेगी, जो श्री वि. वि. नाथन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने 15/3/85 को सरकार को समर्पित किया था ।

उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित अन्य सुसंगत सुझाव देना जिसे समिति उपयुक्त समझे ।

6. समिति संकल्प निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगी ।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी उप विकास आयुक्तों/एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16/जि० पु० 2-04/90 का०-234 पटना-15, दिनांक 7.9.90

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को इसे बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16/जि० पु० 2-04/90 का०-234 पटना-15, दिनांक 7.9.90

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी उप विकास आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16/जि० पु० 2-04/90 का०-234 पटना-15, दिनांक 7.9.90

प्रतिलिपि – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/निदेशक, पंचायतराज निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-16/जि० पु० 2-04/90 का०-234 पटना-15, दिनांक 7.9.90

प्रतिलिपि – संबंधित अध्यक्ष/अंशकालीन सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 66

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री वि० वि० नाथन, अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 12/15 मार्च, 1985

विषय – प्रशासनिक इकाई एवं ढांचा सुधार समिति का प्रतिवेदन ।

महोदय,

मैं हर्ष के साथ प्रशासनिक इकाई एवं ढांचा सुधार समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित कर रहा हूं ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1101, दिनांक 4 मई, 1984 के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था और श्री एस० एस० धनोआ, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष बनाये गये थे । श्री धनोआ के स्थानान्तरण के पश्चात मुझे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है । इस समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे :-

(1) डॉ० जे० सी० कुन्द्रा, आयुक्त, 20-सूत्री कार्यक्रम ।

(2) श्री जगदानन्द, आरक्षी महानिदेशक ।

(3) श्री बसावन सिंह, अभियन्ता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग ।

(4) श्री आर० एन० सिन्हा, आयुक्त-सह-सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग--सदस्य-सचिव ।

2. समिति यह अभिलेखन करना चाहेगी कि श्री आर० एन० सिन्हा, सदस्य-सचिव द्वारा इस समिति के कामकाज एवं प्रतिवेदन तैयार करने में बहुमूल्य सहायता मिली है । श्री सिन्हा दिनांक 4 मई, 1984 से 31 अक्टूबर, 1984 तक अपने कर्त्तव्य के अतिरिक्त इस पद को संभाले हैं । तत्पश्चात् । नवम्बर, 1984 से आज तक (12 मार्च, 1985) सेवानिवृत्त होने के बावजूद इस समिति का कार्य सुचारु रूप से करते रहे । समिति की अनुशंसा है कि सरकार श्री सिन्हा के कार्य की प्रशंसा करने के साथ-साथ एकमुश्त मानदेय की राशि प्रदान की जाय ।

विश्वासभाजन,

वि० वि० नाथन,

अपर मुख्य सचिव ।

संकल्प

सं० 1101, दिनांक 4 मई, 1984

विषय – प्रशासनिक इकाई एवं ढांचे में सुधार के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन ।

इस राज्य में कुछ जिले बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत छोटे । कुछ एक अनुमंडल वाले भी जिले हैं । प्रखंडों की जनसंख्या तथा आकार में भी भिन्नता है । विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर विचार करने की आवश्यकता है । जिला/अनुमंडल/प्रखंड की समस्याओं/संभावनाओं एवं क्षेत्रफल आदि के अनुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बल को पुनर्निर्धारित करने की भी जरूरत है ।

2. प्रशासनिक इकाई एवं ढांचे पर पूर्णरूप से विचार कर सुधार के लिये राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) श्री एस० एस० धनोआ, अपर मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(2) श्री वि० वि० नाथन, प्रशासनिक सुधार आयुक्त – सदस्य

(3) श्री जगदानन्द, आरक्षी महानिरीक्षक, रेल – सदस्य

(4) श्री बसावन सिंह, अभियन्ता प्रमुख, निगरानी तकनीकी कोषांग – सदस्य

(5) श्री आर० एन० सिन्हा, आयुक्त-सह-सचिव-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग –सदस्य-सचिव ।

3. समिति द्वारा विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :–

(i) वर्तमान प्रशासनिक ढांचे एवं इकाइयों की समीक्षा करना ।

(ii) विकास एवं कल्याण के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा प्रशासन को जन-आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उसे प्रभावी रखने के लिए वर्तमान क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने हेतु सुझाव देना ।

(iii) प्रमंडल/जिला/अनुमंडल/प्रखंड या अंचल या अन्य प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक आकार, स्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि के आलोक में उनके पुनर्गठन के संबंध में यथासाध्य मापदण्डों का निर्धारण एवं प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना ।

(iv) प्रशासनिक इकाइयों का वर्गीकरण तथा प्रत्येक के लिए पदाधिकारी/कर्मचारी का बल निर्धारित करने के संबंध में सुझाव देना ।

(v) उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित अन्य सुसंगत सुझाव देना जिसे समिति उपयुक्त समझे ।

4. समिति संकल्प निर्गत होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर अपना सुझाव राज्य सरकार को देगी ।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलायुक्तों/उप विकास आयुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० पी० श्रीवास्तव,
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या 461-मु० स०

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायतराज निदेशालय)

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर, मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/विशेष सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप-विकास आयुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ।

दिनांक 3 मार्च, 1981 ।

विषय – **बिहार पंचायत समिति तथा जिला पर्षद अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत गठित जिला पर्षदों के कार्यक्षेत्र एवं कार्यकलापों के संबंध में उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कर्त्तव्य एवं कृत्य--प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका ।**

प्रसंग – तत्कालीन मुख्य सचिव श्री पी० के० जे० मेनन का परिपत्र संख्या 4340, दिनांक 8 मई, 1973 एवं 4587, दिनांक 5 सितम्बर, 1974 ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि बिहार पंचायत समिति तथा जिला पर्षद अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में पंचायत समितियों एवं जिला पर्षदों का गठन हो चुका है । सभी जिला पर्षदों ने दिनांक 14 नवम्बर, 1980 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । इस व्यवस्था के अधीन ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पर्षदों एवं पंचायत समितियों के अधीन कार्यान्वित किया जायगा । इस ध्येय की पूर्त्ति के लिए जिला समाहर्त्ता की कोटि के पदाधिकारियों को उप विकास-आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है जो जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभारी रहेंगे और जिलास्तरीय विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के बीच इस कार्यक्रम संबंधी दल नेता (captain of the team) की भूमिका अदा करेंगे । साथ-साथ जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की हैसियत से वे जिला पर्षदों के निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे ।

2. इस व्यवस्था के सुचारु रूप से चालू करने के उद्देश्य से भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री पी० के० जे० मेनन के हस्ताक्षर से दो परिपत्र दिनांक 8 मई, 1973 एवं 5 सितम्बर, 1974 को निर्गत किये गये थे। कालक्रम की बदलती हुई

परिस्थिति एवं पूर्वानुभव के आधार पर सरकार ने उन प्रसंगाधीन परिपत्रों को विखंडित कर निम्नलिखित नीति संबंधी निर्णय लिया है ।

3. ग्रामीण विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से उसका पूर्ण प्रभार अब उप-विकास आयुक्त पर रहेगा न कि जिला पदाधिकारी के अधीन । बिहार पंचायत समिति एवं जिला पर्षद अधिनियम की अनुसूची-1 में वर्णित परियोजनाओं को तुरत जिला पर्षदों के अधीन हस्तान्तरित करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है । उक्त अधिनियम की धारा 47 (क) में आवश्यक संशोधन कर अन्य विषयों का हस्तान्तरण भविष्य में समय-समय पर जिला पर्षदों को सौंपने की व्यवस्था भी सरकार करेगी । इस संदर्भ में उप-विकास आयुक्त के कृत्य एवं अधिकार निम्नलिखित होंगे :-

उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कृत्य एवं अधिकार

4. चूंकि उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित उपरोक्त हस्तान्तरित ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे इसलिए उन योजनाओं से संबंधित सभी जिलास्तरीय एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारी उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में मिल-जुलकर कार्य करेंगे तथा उन्हें सभी सम्भव सहयोग एवं सहायता देते रहेंगे ।

5. यद्यपि उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलाधिकारी से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे फिर भी यह सम्भव है कि समाहर्त्ता तथा उप-विकास आयुक्त-सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कर्त्तव्य क्षेत्रों में कुछ ऐसे विषय हों, जो दोनों ही समकक्ष पदाधिकारियों से संबंध रखते हों । ऐसी परिस्थिति में यह वांछनीय होगा कि ऐसे मामलों को पारस्परिक विचार-विमर्श से सुलझा लिया जाय । मतभिन्नता की स्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त के निर्णयानुसार कार्य सम्पादन होगा । यह आशा की जाती है कि प्रमंडलीय आयुक्त के इस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता विरले ही पड़ेगी, फिर भी जब कभी ऐसी स्थिति होगी तो प्रमंडलीय आयुक्त का निर्णय दोनों पर बंधनकारी होगा ।

6. उप-विकास आयुक्त जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे और जिला विकास पदाधिकारी उसके सचिव । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की हैसियत से उप-विकास आयुक्त उन सभी हस्तान्तरित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं उस हेतु संबंधित विभागों के जिलास्तरीय एवं अनुमंडलस्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर उनका नियंत्रण रहेगा ।

7. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंडों में पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे तथा वे उन पदाधिकारियों के दौरा, दैनन्दिनी एवं भत्ता विपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उन्हें आकस्मिक अवकाश भी दे सकेंगे ।

8. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलास्तर के विभागीय प्रधानों से हस्तान्तरित ग्रामीण विकास योजना संबंधी कार्यक्रमों पर प्रतिवेदन-विवरणी या अन्य कोई सूचना मांग सकेंगे तथा उन्हें किसी भी

कार्यक्रम का निरीक्षण करने तथा तत्संबंधी कागजात एवं अभिलेख या स्पष्टीकरण प्रतिवेदन मांगने की सुविधा प्राप्त रहेगी ।

9. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उपरोक्त हस्तान्तरित परियोजनाओं संबंधी जिलास्तर के विभागीय प्रधानों के कार्य एवं आचरणों पर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखेंगे तथा उसे सम्बद्ध विभागाध्यक्षों को अग्रसारित कर सकेंगे ।

10. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विकास कार्यों के लिये प्रतिनियोजित सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे ।

11. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समाहर्त्ता के बदले पंचायत समितियों और उसके स्थायी समितियों के सदस्यों को जिले के बाहर गोष्ठी में भाग लेने हेतु यात्रा-भत्ता की मंजूरी करेंगे ।

12. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समाहर्त्ता के बदले प्रमुख, उप-प्रमुख तथा जिला पर्षद के सदस्यों के (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को छोड़कर) नियंत्रण पदाधिकारी होंगे ।

13. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला अन्तर्गत पंचायत समिति के अराजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अनुमोदित करेंगे ।

14. बिहार पंचायत समिति एवं जिला पर्षद (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 131 एवं 132 के अन्तर्गत उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन की राय से 25,000.00 रु० से 50,000.00 रु० तक कार्यों के लिये प्रशासनिक स्वीकृति देंगे ।

जिला पदाधिकारी की भूमिका

15. चूँकि जिला पदाधिकारी को विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये या प्राकृतिक आपदाओं के समय, जनगणना तथा निर्वाचन, ऋण वसूली आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों एवं अभियानों को सफल बनाने के लिये समय-समय पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा एवं गाड़ियों आदि की आवश्यकता पड़ती रहेगी इसलिए उपरोक्त सभी प्रयोजनार्थ उन्हें जिला पर्षद एवं पंचायत समिति के अधीनस्थ एवं नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने अथवा उनकी सरकारी गाड़ियां प्राप्त करने का अधिकार उन्हें रहेगा । तत्संबंधी जिला पदाधिकारी के आदेशों का पालन जिला एवं नीचे के स्तरों में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी करेंगे ।

16. उपरोक्त परिस्थिति में उन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने या प्रारम्भ कराने का अधिकार जिला पदाधिकारी को रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर वे निलम्बन का भी आदेश दे सकेंगे अथवा सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उसके लिए अनुशंसा कर सकेंगे ।

17. जिला पदाधिकारी 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी हैं । उन्हें जन-जाति एवं हरिजन कल्याण कार्यक्रमों का भी पर्यवेक्षण एवं समन्वयन करना पड़ता है जिससे उन्हें विरमित नहीं किया जा सकता है । अन्य कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने का भार समय-समय पर सरकार उन पर सौंपती है इसलिए जिला के विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रमों से उन्हें बिल्कुल अलग नहीं रखा जा सकता है । इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ उनका दल नेता का वर्त्तमान स्वरूप यथावत रहेगा । साथ ही ऐतिहासिक कारणों से जिला में वे सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं और जनता उनसे अपने हरेक प्रकार की कठिनाइयों के निष्पादन की अपेक्षा रखती है । अत: इन जिला पदाधिकारी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित रहेगी ।

18. इस उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उप-विकास आयुक्त के कार्यकलापों के संबंध में प्रति वर्ष पर्षद के अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के पास भेजेंगे जिस पर विचार कर आयुक्त चरित्र-पुस्ती में गोपनीय अभ्युक्तियां अंकित करेंगे ।

19. जन-जातीय क्षेत्रों में जिला पदाधिकारी की अतिविशिष्ट भूमिका है अत: उन क्षेत्रों में जिला पदाधिकारी सर्वोपरि पर्यवेक्षक अधिकारी रहेंगे और उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये एक समन्वय समिति रहेगी जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी रहेंगे और उप-विकास आयुक्त, उपाध्यक्ष तथा सभी अनुमंडलाधिकारी एवं जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे । कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा समिति करती रहेगी और इस संबंध में समुचित निदेश देगी और मार्ग-दर्शन करायेगी ।

20. ऋण वसूली का भार मुख्यत: उस पदाधिकारी एवं संस्था पर रहेगा जिनके द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया हो, किन्तु सरकार द्वारा समय-समय पर ऋण वसूली अभियान जिला पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन चलाया जाता रहेगा और उस हेतु जिला पदाधिकारी पर्षद एवं पंचायत समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा ले सकेंगे ताकि ऐसा अभियान सफल हो सके ।

21. आपूर्ति विभाग के कार्य का निष्पादन जिला पदाधिकारी के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन अंचल अधिकारी करेंगे ।

22. इन उपबन्धों का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि जिला पदाधिकारी जिला पर्षदों एवं पंचायत समितियों का नियंत्रण पदाधिकारी रहेंगे । यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हस्तान्तरित कार्यक्रमों के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी दिनानुदिन कार्यकलापों में कदापि हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जब भी कार्यक्रमों की त्वरित कार्यान्विति एवं सरकारी नीति एवं उसके अनुपालन के हित में उन्हें मार्गदर्शन कराने की आवश्यकता पड़े तो वैसी स्थिति में भी आपसी परामर्श एवं सुझाव देकर तथा सौहार्दपूर्ण नीति अपना कर ही कार्रवाई करेंगे ताकि जन-प्रतिनिधि संस्थाओं को निर्धारित क्षेत्र में कार्य करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके । साथ ही ताकि उनका पूर्ण सहयोग जिला पर्षदों को प्राप्त हो इस हेतु जिलाधिकारी जिला पर्षद की बैठक में स्थायी आमंत्रित के रूप में भाग लेंगे ।

23. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में प्रमंडलीय आयुक्तों की अतिविशिष्ट भूमिका रहेगी । प्रमंडलीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त पूर्ववत जिला स्तर पर एवं अधीनस्थ स्तरों पर विकास एवं कल्याण संबंधी सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे और यथोचित निदेश देंगे जिसका अनुपालन सभी करेंगे ।

24. अधिनियम की धारा 68 में यह उपबंध है कि उप-विकास आयुक्त जिला पर्षद के किसी निर्णय अथवा अभिस्ताव के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकेंगे और तत्संबंधी प्रतिवेदन आयुक्त एवं सरकार को निदेश के लिये भेजेंगे। जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा अधिकार सौंपना इन संस्थाओं की मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। किन्तु चूंकि ऐसी समस्या यदाकदा उठ सकती है कि कोई जिला पर्षद अथवा पंचायत समिति सरकार की नीति के प्रतिकूल अथवा वित्तीय उपबंधों के सर्वथा विरुद्ध निर्णय ले इसलिए ऐसे निर्णयों की सूचना सरकार को तुरंत मिलनी चाहिए ताकि उसका कार्यान्वयन नहीं हो सके। इस हेतु धारा 68 के उपबंध को संशोधित कर यह अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को ही रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को जिला पर्षद एवं पंचायत समिति के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं अभिस्तावों की सूचना तुरत मिलती रहे ताकि आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी वैसी अनुशंसा आयुक्त के समक्ष समय पर कर सकें।

25. प्रमंडलीय आयुक्त उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां लिखेंगे। उस प्रसंग में वे जिला पर्षद के अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी की अनुशंसा अलग-अलग प्राप्त करेंगे और उस पर विचार कर अपनी अभ्युक्ति अंकित करेंगे।

26. उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश मंजूर करने, उनकी दौरा दैनन्दिनी एवं यात्रा-भत्ता विपत्रों पर प्रतिस्ताक्षर करने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को प्राप्त रहेगी।

अनुमंडल पदाधिकारी की भूमिका

27. सभी प्रखंडों के कार्यकलापों का निरीक्षण उप-विकास आयुक्त एवं जिला विकास पदाधिकारी नहीं कर सकेंगे। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी को भी इस कार्यक्रम में अवश्य ही लगाया जाय। उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने तथा उनका मार्ग-दर्शन कराने का अधिकार रहेगा।

28. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संबंध में प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी उनके कार्यकलापों के संबंध में अपनी अभ्युक्ति उप-विकास आयुक्त के विचारार्थ भेजेंगे।

पंचायत समितियों के प्रमुख भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकलापों के सबंध में अपना मंतव्य उप-विकास आयुक्त को सीधे भेजेंगे। उस पर तथा अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा पर विचार कर उप-विकास आयुक्त वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां अंकित करेंगे। जिन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रखंड विकास पदाधिकारी सीधे जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन करेंगे, जैसे वृद्धावस्था पेंशन आदि कार्यक्रम उनके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अपनी वार्षिक अभ्युक्ति जिला पदाधिकारी को भेजेंगे जिस आधार पर जिला पदाधिकारी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अंकित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका

29. चूंकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के अधीन ही कार्य करेंगे इसलिए यह आवश्यक है कि प्रखंड- स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्ण प्रभावकारी बनाया जाय और उस हेतु उन्हें प्रखंड स्तर पर

पदस्थापित सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी बनाया जाय, ताकि वे प्रखण्ड स्तर पर दल नेता की भूमिका निभा सकें।

विविध

30. जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड विकास कार्यालय में पदस्थापित अनुसचिवीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की स्थापना पूर्ववत, जिला पदाधिकारी के अधीन समाहरणालय में ही रहेगी किन्तु इस स्थापना से हस्तांतरित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये योग्य एवं यथेष्ट संख्या में कर्मचारी उप-विकास आयुक्त के अधीन प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। इस प्रतिनियुक्ति के लिए किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति-भत्ता आदि देय नहीं होगा। सरकार की यह अपेक्षा है कि जिला पदाधिकारी उपरोक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उप-विकास आयुक्त से परामर्श कर यथेष्ट संख्या में यथायोग्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब करेंगे और इन बातों के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

31. जिला पर्षद में लेखा संधारण, बजट आदि तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसके लिये एक पूर्णकालीन लेखा पदाधिकारी की सेवा की आवश्यकता होगी, किन्तु जबतक यह पद सृजित नहीं हो जाता है तब तक जिला लेखा पदाधिकारी समाहर्त्ता के अधीन रहते हुए भी अपनी सेवा उप-विकास आयुक्त को उपलब्ध कराते रहेंगे।

32. जिला पदाधिकारी के अधीन जिला लेखा पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि उप-विकास आयुक्त एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के नियंत्रणाधीन कार्यान्वयन होने वाले कार्यक्रमों के लेखा की भी जांच एवं अंकेक्षण करते रहेंगे और तत्संबंधी प्रतिवेदन उप-विकास आयुक्त को देंगे किन्तु दुर्विनियोग एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जिला पदाधिकारी को भी तत्संबंधी प्रतिवेदन देते रहेंगे।

33. सांख्यिकी संगठन का कार्य राजस्व विभाग के पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं विकास कार्यों में संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर करते हैं। अतः सांख्यिकी संगठन पूर्ववत जिला पदाधिकारी के अधीन रहेगा परन्तु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उप-विकास आयुक्त को भी उपलब्ध रहेगी।

34. ठीक उसी प्रकार जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के अधीन कार्य करेंगे किन्तु उप-विकास आयुक्त भी उनकी सेवा का उपयोग करेंगे और जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी उन्हें पूर्ण सहयोग देंगे और तत्संबंधी उनके अनुदेशों का पालन करेंगे।

35. जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष हस्तांतरित कार्यक्रमों से संबंधित एवं उनके विभागीय उच्च पदाधिकारियों के बीच हुए महत्वपूर्ण पत्राचार की प्रतिलिपियां उप-विकास आयुक्त को उपलब्ध कराई जायेंगी।

36. जिला पर्षद के अधीन पृथक विकास प्रशासन पूर्णतः लागू होने के पश्चात भी संबंधित सरकारी विभागों द्वारा कुछ पत्राचार जिला पदाधिकारी के साथ होता रहेगा। किन्तु हस्तांतरित विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्राचार उप-विकास आयुक्त के साथ होगा।

37. जब तक जिला पर्षद से संबंधित पदाधिकारियों के लिए गृह निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाता है तब तक वर्तमान में उपलब्ध आवासीय गृह एवं कार्यालय स्थल के आबंटन में सम नीति अपनाई जाय एवं इनका आबंटन समाहर्त्ता एवं उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सम्मिलित रूप से होगा ।

38. सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित सरकारी नियमों के अनुकूल विधि, नियम आदि में आवश्यक संशोधन के लिये तुरत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ।

39. निधि के आबंटन एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर अनुदेश बाद में परिचारित होगा ।

40. अंत में सरकार पुनः इस बात पर बल देना चाहती है कि जिला पर्षद एवं पंचायतीराज योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी पदाधिकारी भरपूर प्रयास करेंगे और उस हेतु अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे जिससे सरकार की नीति सफलीभूत होकर बेहतर जन-कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हो एवं जन-मानस में सरकार के प्रति जनता की आस्था एवं विश्वास की भावना दिनों-दिन बढ़ती रहे ।

आपका विश्वासभाजन,

प्रेम प्रसाद नैय्यर

सरकार के मुख्य सचिव

(संचिका संख्या सी० एस० 3/एम० 3/107/81 से निर्गत किया गया ।)

[7]

No. 4340/GP

GOVERNMENT OF BIHAR

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF PANCHAYATI RAJ)

From

Shri P. K. J. Menon, Chief Secretary to Government.

To

All Principal Secretaries/All Secretaries/All Heads of Departments/All Divisional Commissioners/All District Officers/All Regional Dev. Officers.

Dated the 8th May, 1973

Subject — Duties and functions of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer in connection with the Zila Parishads constituted under Bihar Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961.

Sir,

I am directed to say that with the reference to the policy decision of the State Government to entrust all the schemes and activities concerning the development and welfare at district and its lower levels to the Zila Parishads and Panchayat Samities it has become necessary to redetermine the duties and functions of the district officers and newly created posts of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer in the senior scale of I. A. S., so that work concerning development and welfare be attended to without any hindrance and programmes relating to the same be executed promptly and properly. For this purpose it has been decided that the posts of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will be at par with and equivalent to the post of District Officer and after carefully examining all the points and superseding all the previous orders on the subject, the State Government have now decided that in all those districts where Bihar Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961 is in force or may be enforced in future all the duties of the District Officer in respect of Planning, Development and Welfare be entrusted to the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive

Officer. It is quite possible that a few subjects coming under the purview of the District Officer and the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer be such that they may concern both the officers. In such circumstances for the smooth functioning of the administrative machinery it will be very proper if the problems related to both of them be decided by mutual consultation. In case of difference of opinion the work shall be executed according to the decision of the Divisional Commissioner. It is hoped that the Divisional Commissioner would hardly have to interfere in such matters.

2. In the districts notified under the Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961 the District Officer himself will not exercise the powers conferred for the co-ordination and execution of works relating to planning, development and welfare. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer shall remain incharge of Planning, Development and Welfare quite independent of the District Officer.

3. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer shall exercise similar control over the heads at the district level as was up till now exercised so by the District Officer.

4. The District Development Officer (who is proposed to be subsequently redesignated as Assistant Development Commissioner-cum-Deputy Chief Executive Officer) will work under the administrative control and supervision of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer. In the district where more than one Assistant Development Commissioner-cum-Deputy Chief Executive Officer are posted they shall also work similarly under his control and supervision.

5. In the district where more than one officer in the rank of Additional Collector are posted under the Zila Parishad for the works relating to planning, development and welfare, the Deputy Development Commissioner-cum Chief Executive Officer will allocate the work among them.

6. The Deputy Development Commissioner-cum Chief Executive Officer will exercise control and supervision over the Block Development Officers/Project Executive Officers, now instead of the Subdivisional Officer, the District Development Officer/Assistant Development Commissioner-cum Deputy Chief Executive Officer will exercise immediate hiararchical supervision and control over the Block Development Officers and the District Development Officer/Assistant Development Commissioner-cum Deputy Chief Executive Officer will countersign their (Project Executive Officers/Block Development officers) tour diaries and T. A. Bills.

7. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will exercise control over the tour of the Departmental Heads attached to the development, planning and welfare at the district level and will grant them casual leave. For other kinds of leave he will forward the applications to the departmental officers concerned. On leave being granted, the heads at district level can proceed on leave only after obtaining permission from him. Wherever the jurisdiction of a head at the district level comprises more than one district the head at the district level will be required to take casual leave from the Divisional Commissioner but such leave shall be granted in consultation with the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer.

8. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer may initiate a proposal for disciplinary action against heads at the district level and for their transfer and will forward it to the departmental head.

9. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer may order for transfer within the district of officers and staff subordinate to the departmental heads at the district level, but before passing such orders he will consult the concerned departmental head at the district level.

10. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer can ask for report, return or any other information regarding the programme of planning, development and welfare from the heads at the district level and he will have privilege to inspect any work and to obtain papers and records of the same. He may require from departmental heads at the district level report for clarification in connection with any plan or programme.

11. The Deputy Development Commissioner-cum Chief Executive Officer will write annual confidential report regarding the work and conduct of the departmental heads at the district level and will forward it to the head of the department concerned.

12. The copies of all important correspondences made between the heads of the departments at the district level and their high officials will be forwarded to Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer. Similarly copies of important correspondence between Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer and heads at district level will be sent to their immediate superior officer, Divisional Commissioner and Regional Development Commissioner. If the jurisdiction of departmental head at district level comprises more than one district these powers will be exercised by the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer of the area concerned.

13. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will write annual confidential remarks regarding the work and conduct of the Assistant Development Commissioner-cum-Deputy Chief Executive Officer/District Development Officer, Project Executive Officer, Block Development Officer and other Officers of planning, development and welfare programme.

14. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will exercise disciplinary and administrative control over the Government employees engaged in planning, development and welfare work and all the powers conferred on District Officer will vest in him.

15. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will keep himself in close touch in order to ensure progress of different planning, development and welfare schemes, review quarterly the work progress and expenditure and submit consolidated report to the Community Development and Panchayat Department/Divisional Commissioner/Regional Development Commissioners.

16. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will instead of the Collector sanction the tour of the members of Panchayat Samitis and their standing committees to attend seminar outside the district.

17. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will instead of the Collector be the Controlling Officer of Pramukh, Up-Pramukh and the members of the Zila Parishad (except the Chairman and Deputy Chairman).

18. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will approve the transfer of non-gazetted employees of Panchayat Samiti within the district.

19. The Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will countersign the tour diaries and travelling allowance bills of the District Development Officer/ Assistant Development Commissioner-cum-Deputy Chief Executive Officer and will also grant them casual leave.

20. Under rules 131 and 132 of the Bihar Panchayat Samities and Zila Parishads (Budget & Account) Rules, 1964 the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will accord administrative sanction for works of Rs. 25,000 to Rs. 60,000 in consultation with Executive Engineer, Rural Engineering Organization.

21. The Divisional Commissioner will have the power to grant casual leave to the Deputy Development Commissioner-cum-Executive Officers and to countersign their tour diaries and T. A. Bills.

22. Divisional Commissioner will write annual confidential remarks regarding the work and conduct of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officers.

23. The State Government attaches greatest importance to the complete success of the planning, development and welfare programmes and is anxious to see that all the officer attached to them work together under the leadership of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer and continue to give him all possible co-operation and assistance.

24. In nutshell the objective is that the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer will replace the Collector in the field of planning, development and welfare work, so that a suitable background may be prepared for making over charge of planning, development and welfare activities to the elected Zila Parishads and Panchayat Samitis.

25. All the Principal Secretaries and Heads of the Departments are required to take immediately necessary steps to make necessary amendment in law, rule etc., in accordance with the Government decision contained in the above paragraphs as this order will come into force immediately.

Yours faithfully,

P. K. J. Menon,

Chief Secretary to Government of Bihar

Memo no. 4340/GP Dated the 8th May, 1973.

Copy forwarded to the Chairman, Zila Parishad, Bhagalpur/Dhanbad/the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Bhagalpur/Dhanbad/all District Development Officers/all Subdivisional Officers/all Project Executive Officers/Block Development Officers for information and necessary action.

P. K. J. Menon

Chief Secretary to Government of Bihar